प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2016

विषय: ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किश्तों का ग्रेटर नोएडा को भुगतान किये जाने के लिए प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को के पत्र संख्या-EMC/Vol.III/779, दिनांक 12 मई, 2016 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) की स्थापना हेतु निवेश/ऋण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 5,31,03,000/- (रूपये पॉच करोड इक्तीस लाख तीन हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन यूपीडेस्को, लखनऊ को स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेगें।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। यदि इस धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज की धनराशि प्रोजेक्ट की धनराशि होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-7 आयोजनागत के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"6859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिये कर्ज-02-इलेक्ट्रानिक्स-800-अन्य कर्ज-03-इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

(7) उपर्युक्त ऋण की वापसी ब्याज सहित 10 वर्षो की अवधि में की जायेगी।

(8) ब्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किये जाने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(9) मूलधन के प्रतिदान की पहली किश्त ऋण आहरण की तिथि से ठीक एक वर्ष के बाद देय हो जायेगी। मूलधन का प्रतिदान 10 समान वार्षिक किश्तों में किया जायेगा।

(10) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-442/दस/2016, दिनांक-3-8-16 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जी0एस0नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2016/686(1)/78-1-2016 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4& वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

8- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपी यूनिट लखनऊ।

10- प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को, लखनऊ।

11- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।